पत्र सूचना शाखा
(मुख्यमंत्री सूचना परिसर)
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0

मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णय

लखनऊ : 20 नवम्बर, 2018

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में आज यहां लोक भवन में सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए :—

प्रोत्साहन योजनाओं के अन्तर्गत संचालित मल्टीप्लेक्स/ सिनेमाघरों में एस0जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में

जी0एस0टी0 लागू होने के पश्चात् संचालित प्रोत्साहन योजनाओं के अन्तर्गत संचालित मल्टीप्लेक्स/सिनेमाघरों में एस0जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति सम्बन्धित लागू शासनादेशों तथा शासनादेश दिनांक 28.07.2017 के आधार पर किये जाने हेतु प्रक्रिया एवं सीमा का निर्धारण किये जाने का निर्णय लिया गया है।

राज्य सम्पत्ति विभाग के पूल के निष्प्रयोज्य वाहनों के प्रतिस्थापनस्वरूप नये वाहनों के क्रय के सम्बन्ध में

राज्य सम्पत्ति विभाग के पूल से दिनांक 23 मार्च, 2018 को 15 निष्प्रयोज्य वाहन एवं दिनांक 24 मई, 2018 को 02 निष्प्रयोज्य वाहन कुल 17 वाहन नीलाम किये गये थे, जिसके सापेक्ष प्रतिस्थापनस्वरूप 17 नए वाहनों का क्रय किया जायेगा, जिसमें 05 इन्नोवा (क्रिस्टा), 05 स्कार्पियो एवं 07 हॉण्डा सिटी वाहन शामिल है।

मैसर्स सनलाईट फ्यूल्स लि0, नई दिल्ली को जैव ऊर्जा उद्यम प्रोत्साहन कार्यक्रम के अन्तर्गत सुविधाएं प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में

उत्तर प्रदेश में जैव अपशिष्टों के समुचित प्रबन्धन तथा उसमें निहित ऊर्जा का पर्यावरण अनुकूल तरीके से दोहन कर प्रदेश के आर्थिक विकास एवं स्वरोजगार अवसरों के सृजन हेतु लिये गये नीतिगत निर्णय के परिपेक्ष्य में जैव ऊर्जा उद्यम प्रोत्साहन कार्यक्रम संचालित किये जाने हेतु शासनादेश संख्या–4/2018/151/35–1–2018–2/1(35)/2017, दिनांक 21 फरवरी, 2018 जारी किया गया है।

यूपीनेडा द्वारा विज्ञापन दिनांक 28 जून 2018 के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों का तकनीकी समिति द्वारा मूल्यॉकन किया गया। मूल्यॉकन के उपरांत मैसर्स सनलाइट फ्यूल्स प्रा0 लि0 का रू0 1550.87 करोड़ निवेश की ड्राप–इन फ्यूल परियोजना का प्रस्ताव तकनीकी समिति द्वारा उपयुक्त पाया गया। उच्च स्तरीय समिति द्वारा प्रस्ताव को मा0 मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की संस्तुति की गयी।

परियोजना हेतु उपर्युक्त पायी गयी फर्म मैसर्स सनलाईट फ्यूल्स को भूमि क्रय पर स्टैम्प ड्यूटी, पूँजीगत उपादान एवं एस–जी0एस0टी0 से सम्बन्धित छूटें विहित प्रतिबंधों/शर्तों के साथ समयानुसार उपलब्ध करायी जायेंगी।

प्रदेश में गम्भीर तीव्र अति–कुपोषित बच्चों हेतु 'मुख्यमंत्री सुपोषण घर' के संचालन के सम्बन्ध में

नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार प्रदेश में 06 प्रतिशत बच्चे गम्भीर तीव्र अतिकुपोषित है। ऐसे बच्चों की स्थिति में सुधार के लिए विभाग द्वारा कुल 10 जनपदों में ब्लाक स्तर पर 28 ''मुख्यमंत्री सुपोषण घर'' प्रस्तावित किया जा रहा है। वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत प्रदेश में गम्भीर तीव्र अतिकुपोषित बच्चों की देख–भाल हेतु प्रत्येक जनपद पर पोषण पुनर्वास केन्द्र (NRC) स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्थापित किये गये हैं, जहां पर इनकी देख–भाल व इलाज किया जाता है। प्रदेश में वर्तमान में 77 पोषण पुनर्वास केन्द्र संचालित है। मुख्यमंत्री सुपोषण घर स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से उन्हीं ब्लॉक/सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जहां इस हेतु एक कमरा स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा, जिसमें बाल विकास विभाग द्वारा 6 बेड एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेंगी। मुख्यमंत्री सुपोषण घर योजना के अन्तर्गत प्रत्येक घर में 01 परामर्शदाता, 03 स्टाफ नर्स, 02 कुक कम केयर टेकर एवं 01 क्लीनर आउटसोर्स के आधार पर तैनात किये जायेंगे।

मुख्यमंत्री सुपोषण घर द्वारा बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के माध्यम से डिस्चार्ज के उपरान्त फॉलोअप भी सुदृढ़ किया जायेगा। मुख्यमंत्री सुपोषण घर मातृ व शिशु पोषण व देख–भाल सम्बन्धी परामर्श केन्द्र के रूप में भी कार्य करेगा। मुख्यमंत्री सुपोषण घर में पोषण परामर्शदाता की उपलब्धता से पोषण संबंधी विभिन्न पहलू सुदृढ़ होंगें यथा – लेबर रूम में स्तनपान प्रबन्धन, जन्म के समय अल्प वजन वाले बच्चों की पोषण सम्बन्धी देखभाल, स्वास्थ्य केन्द्र से डिस्चार्ज के समय महिला को आवश्यक परामर्श तथा स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा पोषण सम्बन्धी जानकारी।

मुख्यमंत्री सुपोषण घर के संचालन हेतु पोषण परामर्शदाता, स्टाफ नर्स व कुक कम केयर टेकर की उपलब्धता बाल विकास विभाग द्वारा करायी जाएगी। बाल विकास विभाग द्वारा आउटसोर्सिंग से तैनात पोषण परामर्शदाता व स्टॉफ नर्स फैसीलिटी मैनेजमेन्ट ऑफ SAM गाइडलाइन्स के अनुसार बच्चों को आवश्यक आहार व इलाज प्रदान करेंगे। आंगनबाड़ी केन्द्र से मुख्यमंत्री सुपोषण घर को सन्दर्भित करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को

रू0 50/– प्रति लाभार्थी दिया जायेगा। प्रति आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री प्रतिमाह दो बच्चों के सन्दर्भन के अनुमान के अनुसार इस हेतु एक केन्द्र पर एक माह में रू0 600/– का व्यय सम्भावित है। 28 मुख्यमंत्री सुपोषण घर पर रू0 16,800/– प्रतिमाह का व्यय अनुमानित है। डिस्चार्ज के उपरान्त प्रत्येक 15 दिन पर 4 फालो–अप हेतु बच्चे को मुख्यमंत्री सुपोषण घर में आना होगा। इसके लिए मुख्य सेविका को रू0 200/– प्रति बच्चा दिया जाएगा, यदि वह उक्तानुसार 4 फालो–अप सुनिश्चित करें। मुख्य सेविका द्वारा प्रतिमाह 5 से 7 आंगनबाड़ी केन्द्रों का पर्यवेक्षण किया जायेगा। इस प्रकार चयनित प्रत्येक आंगनबाड़ी पर मुख्य सेविका 4 बार भ्रमण करेंगी। इस प्रकार मुख्य सेविका 20 या उससे अधिक दिन क्षेत्र भ्रमण करेंगी। इस दौरान मुख्य सेविका, आशा व आंगनबाड़ी कार्यकत्री से चर्चा करेगी। गम्भीर तीव्र अतिकुपोषित व मध्यम तीव्र अतिकुपोषित बच्चों की माताओं/अभिभावकों के साथ समूह बैठक करेंगी तथा पिछले 06 माह में सुपोषण घर से डिस्चार्ज हुये बच्चों के घर भ्रमण करेंगी तथा उसकी रिपोर्ट डी0पी0ओ0 को प्रेषित करेंगी। प्रतिमाह कम से कम 05 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पर्यवेक्षण के साथ उपर्युक्त गतिविधियां करने पर मुख्य सेविका को प्रतिमाह रू0 400/– प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जायेगी। बाल विकास परियोजना अधिकारी प्रत्येक मंगलवार मुख्यमंत्री सुपोषण घर का भ्रमण करेंगे। जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रत्येक शनिवार 02 सुपोषण घर का भ्रमण करेंगे तथा इन्चार्ज मेडिकल ऑफीसर के साथ सुपोषण घर के सुचारू संचालन हेतु विचार–विमर्श करते हुए आवश्यक कार्य करवायेंगे।

यह योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चयनित 08 आंकाक्षात्मक जनपदों–चित्रकूट, चन्दौली, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, बहराइच, बलरामपुर एवं श्रावस्ती तथा बौनेपन की दृष्टि से हाई–बर्डन जनपद (High burden districts) सीतापुर तथा गोण्डा में संचालित की जायेगी। इस प्रोजेक्ट की अवधि जनवरी, 2019 से मार्च 2020 तक रहेगी। योजनान्तर्गत कुल 28 सुपोषण घर जिसमें गोण्डा में 02, बलरामपुर में 02, सिद्धार्थनगर में 03, बहराइच में 14, चित्रकूट में 02 मुख्यमंत्री सुपोषण घर तथा शेष 05 जनपदों में एक–एक मुख्यमंत्री सुपोषण घर स्थापित करने का प्रस्ताव है। योजना अन्तर्गत लगभग रू0 756.15 लाख का व्यय संभावित है।

सौर ऊर्जा नीति–2017 के अन्तर्गत कुल 500 मेगावॉट क्षमता की सोलर पावर परियोजनाओं हेतु परियोजना विकासकर्ताओं के चयन के सम्बन्ध में

राज्य में सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन के वृहद संभावनाओं के दोहन एवं ऊर्जा की मांग की पूर्ति एवं उपलब्धता के अन्तर में कमी करने के उद्देश्य से सौर ऊर्जा नीति–2017 प्रतिपादित की गयी है।

सौर ऊर्जा नीति–2017 में उपलब्ध प्राविधानों के अनुपालन में उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) द्वारा कुल 500 मेगावाट क्षमता की सौर पावर परियोजनाओ की स्थापना एवं आंवटन हेतु टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बिडिंग की गयी। आमंत्रित की गयी 500 मेगावाट क्षमता की सौर पावर परियोजना की स्थापना हेतु बिड में टैरिफ का अंतिमीकरण हेतु ई–रिवर्स ऑक्शनिंग की प्रक्रिया अपनायी गयी।

कुल 500 मेगावाट क्षमता की सोलर पावर यूपीपीसीएल द्वारा 25 वर्ष के लिए क्रय हेतु मेसर्स एनटीपीसी लि0 से 140 मेगावाट क्षमता के लिए रू. 3.17 प्रति यूनिट तथा 20 मेगावाट क्षमता की सौर पावर परियोजना की स्थापना हेतु रू. 3.21 प्रति यूनिट, मेसर्स महेश्वरी माईनिंग इनर्जी लिमिटेड से 20 मेगावाट क्षमता की 02 सौर पावर परियोजना की स्थापना के लिए रू. 3.17 प्रति यूनिट एवं रू. 3.19 प्रति यूनिट,मैसर्स महोबा सोलर (यू.पी.) प्राईवेट लिमिटेड से 50 मेगावाट क्षमता की 02 सौर पावर परियोजना हेतु रू. 3.19 प्रति यूनिट एवं रू. 3.21 प्रति यूनिट, मेसर्स इडन रिन्यूएबल जेसमीन प्रा0 लि0, नई दिल्ली से 50 मेगावाट क्षमता सौर पावर परियोजना की स्थापना के लिए रू. 3.21 प्रति यूनिट, मेसर्स तालुतुत्ई सोलर प्रोजेक्टस फाईव प्रा0लि0से 50 मेगावाट क्षमता सौर पावर परियोजना

की स्थापना के लिए रू. 3.21 प्रति यूनिट, मेसर्स सुखबीर एग्रो इनर्जी लि0, पंजाब से 50 मेगावाट क्षमता सौर पावर परियोजना की स्थापना के लिए रू. 3.20 प्रति यूनिट,मेसर्स गिरीराज रिन्यूएबल प्रा0 लि0, नोएडा से 50 मेगावाट क्षमता सौर पावर परियोजना की स्थापना के लिए रू. 3.23 प्रति यूनिट का कोट किया गया टैरिफ को अनुमोदित किया गया।

परियोजना विकासकर्ताओ द्वारा आंवटित क्षमता की ग्रिड संयोजित सौर पावर विद्युत उत्पादन परियोजना की स्थापना स्वयं चिन्हित एवं क्रय की गयी उपयुक्त भूमि पर स्वयं के पूर्ण व्यय पर की जायेगी। परियोजना विकासकर्ता द्वारा आवंटित क्षमता की परियोजना की कमिशनिंग यूपीपीसीएल के साथ पावर विक्रय हेतु 25 वर्ष के लिए निष्पादित पावर परचेज अनुबन्ध की तिथि से 21 माह की समयावधि में की जायेगी।

सौर ऊर्जा नीति में उपलब्ध प्रोत्साहन व्यवस्था के अनुसार पूर्वान्चल एवं बुन्देलखण्ड में स्थापित सौर पावर विद्युत उत्पादन परियोजना को निश्चित किलोमीटर तक परियोजना विकासकर्ता द्वारा पारेषण लाईन के निर्माण की लागत पर राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति के रूप में अनुदान प्रोत्साहन धनराशि देय होगी।

कुल 500 मेगावाट क्षमता की सौर पावर परियोजनाओ से प्रति वर्ष 832 मीलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन प्रतिवर्ष की दर से 25 वर्ष तक होगा। 500 मेगावाट क्षमता की सौर विद्युत परियोजना की स्थापना से 638750 टन कार्बन डाई आक्साईड उत्सर्जन में प्रतिवर्ष की कमी हो सकेगी एवं प्रदेश में रू0 2500.00 करोड़ का निवेश प्राप्त होगा।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में अधिकांशतः सौर विद्युत परियोजनाओ की सम्भावना के दृष्टव्य बुन्देलखण्ड क्षेत्र की बंजर भूमि का उत्पादक उपयोग हो सकेगा एवं सौर विद्युत परियोजनाओं की स्थापना से सम्बन्धित क्षेत्र में रोजगार का सृजन होगा।

कुम्भ मेला–2019 योजनान्तर्गत वेणी माधव मन्दिर दारागंज, पंच दिगम्बर अनी अखाड़ा झूँसी व प्रभुदत्त ब्रम्हचारी आश्रम झूँसी में आवश्यक मूलभूत जनसुविधाओं के सम्बन्ध में

कुम्भ मेलाधिकारी, प्रयागराज के माध्यम से कुम्भ मेला–2019 योजनान्तर्गत मेला क्षेत्र के सन्निकट 03 स्थानों वेणी माधव मंदिर दारागंज में श्रद्धालुओं/साधु सन्तो के ठहरने हेतु आवश्यक मूलभूत सुविधाओं के निर्माण तथा पंच दिगम्बर अनी अखाड़ा झूँसी व प्रभुदत्त ब्रम्हचारी आश्रम झूँसी में श्रद्धालुओं/साधु सन्तों के ठहरने हेतु आवश्यक मूलभूत जन सुविधाओं के निर्माण कार्य हेतु प्राप्त रू0–321.39 लाख का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। उक्त प्रस्ताव पर परीक्षणोपरान्त रू0–321.39 लाख की धनराशि धर्मार्थ कार्य विभाग के आय व्ययक में प्रविधान न होने के कारण नगर विकास विभाग में कुम्भ मेला योजनान्तर्गत उपलब्ध बजट से स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव है। प्रश्नगत योजना हेतु कान्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज उ0प्र0 जलनिगम को कार्यदायी संस्था नामित किये जाने का प्रस्ताव है।

प्रश्नगत प्रायोजना हेतु भूमि मंदिर/अखाड़ा/आश्रम (गैर सरकारी भूमि)की है, परन्तु निर्मित जनसुविधाओं का उपयोग मंदिर/अखाड़ा/आश्रम के साधु सन्तों के साथ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं/जन मानस के लिये किया जाना है। अतः जनहित में निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान की जा रही है।

विशिष्ट/अतिविशिष्ट महानुभावों के लिए सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु सुरक्षा फ्लीट के लिए 16 अदद वाहनों की स्वीकृति के सम्बन्ध में

- सुरक्षा विभाग के अनुरोध पर विशिष्ट/अतिविशिष्ट महानुभावों के आगमन पर सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु 16 अदद वाहनों के क्रय पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रदेश में विशिष्ट/अतिविशिष्ट महानुभावों के राज्य भ्रमण के समय सुदृढ़ व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु सुरक्षा विभाग हेतु 79 अदद वाहनों के क्रय की स्वीकृति के सम्बन्ध में

- सुरक्षा विभाग के अनुरोध पर विशिष्ट/अतिविशिष्ट महानुभावों के उत्तर प्रदेश आगमन पर उनकी सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु 79 अदद वाहनों के क्रय पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

दीन दयाल उपाध्याय गोरखरुपर विश्वविद्यालय परिसर में गुरु श्री गोरक्षनाथ शोध पीठ के निर्माण के सम्बन्ध में

- दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में गुरू श्री गोरक्षनाथ शोध पीठ के निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।
- इस कार्य हेतु ' उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0' कार्यदायी संस्था नामित की गयी है।
- दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में गुरू श्री गोरक्षनाथ शोध पीठ के निर्माण के अन्तर्गत शोध पीठ भवन तथा अन्य निर्माण कार्य हेतु निर्माण इकाई द्वारा उपलब्ध कराये गये रू0 1383.04 लाख के आगणन को प्रायोजना रचना मूल्यांकन प्रभाग द्वारा योजना लागत रू0 1155.57 लाख + जी0एस0टी0 नियमानुसार मूल्यांकित की गयी है।
- प्रस्तावित निर्माण कार्य के अन्तर्गत गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में स्थित वाणिज्य विभाग के भवन के ध्वस्तीकरण से बट्टे खाते में डाली जाने वाली धनराशि रू0 118.49 लाख (रूपये एक करोड अ्टठारह लाख उन्नचास हजार मात्र) को बट्टे खाते में डाला जायेगा तथा ध्वस्तीकरण से प्राप्त सामग्री (मलबा आदि) के निस्तारण के फलस्वरूप प्राप्त धनराशि को राजकोष में जमा किये जाने का प्रस्ताव है।
- अतः प्रस्तावित योजना के आगणन रू0 1383.04 लाख में प्रयुक्त विशिष्टियॉ यथा–केन्द्रीय वातानुकूलन सिस्टम एवं फाल्स सीलिंग के निर्माण कार्य रू0 217.64 लाख को कराये जाने पर तथा गोरखपुर विश्वविद्यालय में स्थित वाणिज्य विभाग के भवन के ध्वस्तीकरण से बट्टे खाते में डाली जाने वाली धनराशि रू0 118.49 लाख को बट्टे खाते डाले जाने के प्रस्ताव पर मा0 मंत्रिपरिषद का अनुमोदन निवेदित है।

उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0 की चीनी मिलों को पेराई सत्र 2018–19 हेतु उ0प्र0 बैंक/जिला सहकारी बैंकों से उपलब्ध कराई जाने वाली नकद साख–सीमा की सुविधा के लिए शासकीय गारण्टी दिए जाने एवं उक्त शासकीय गारण्टी पर देय गारण्टी शुल्क माफ किए जाने के सम्बन्ध में

- संघ की चीनी मिलों को चलाये जाने हेतु सहकारी बैंकों, जिला बैंकों से ली जाने वाली नकद साख सीमा के विरूद्ध शासकीय गारन्टी दी जानी है।
- उक्त शासकीय गारन्टी प्रतिवर्ष प्रदान की जाती रही है।
- विगत् पेराई सत्र 2017–18 में रू0 2307.48 करोड़ की नकद साख सीमा के विरूद्ध शासकीय गारन्टी दी गई थी एवं गारन्टी शुल्क को माफ किया गया था।
- चालू पेराई सत्र 2018–19 में रू0 2703.92 करोड़ की नकद साख सीमा के विरूद्ध शासकीय गारन्टी दी जानी है।
- उक्त शासकीय गारन्टी पर देय गारन्टी शुल्क को भी माफ किया जाना है।

लखनऊ दिनांक नवम्बर, 2018

उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल संघ लि. की 23 चीनी मिलों को चलाये जाने हेतु सहकारी बैंकों, जिला बैंकों से ली जाने वाली नकद साख सीमा के विरूद्ध शासकीय गारन्टी दी गयी है। उक्त शासकीय गारन्टी प्रतिवर्ष प्रदान की जाती है। विगत् पेराई सत्र 2017–18 में रू0 2307.48 करोड़ की नकद साख सीमा के विरूद्ध शासकीय गारन्टी दी गई थी एवं गारन्टी शुल्क को माफ किया गया था। पेराई सत्र 2018–19 के लिए उ.प्र. सहकारी बैंक लि./ जिला सहकारी बैंकों द्वारा दी जाने वाली कार्यशील पूँजी ऋण अंकन रू.2703.92 करोड़ (रूपया दो हजार सात सौ तीन करोड़ बानवे लाख मात्र) की शासकीय गारण्टी प्रदान करने तथा सहकारी चीनी मिलों की आर्थिक स्थिति खराब होने के दृष्टिगत शासकीय गारण्टी के विरूद्ध गारण्टी शुल्क रू.6.76 करोड़ (रूपया छः करोड़ छियत्तर लाख) के भुगतान से छूट प्रदान की गयी है।